राजस्व लोक अदालत अभियान-2017

फर्द अहकाम (नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

कालूसिंह बनाम स्टेट

मुकद्मा नम्बर 357/2017 अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुा
10.07.2017	प्रार्थी कालूसिंह पुत्र कृपालसिह जाति लबानासिंख निवासी कौनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबन्दी में मेरा नाम "**कुन्दनसिंह पुत्र कृपालसिंह** " है जबकि मेरा सही नाम कालूसिंह पुत्र कृपाजलसिंह है। अतः मेरा नाम बदलनें की कृपा करें। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र, राशन कार्ड की प्रति, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति संलग्न की है।	

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में पटवारी हल्का मदेरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो शामील पत्रावली की गई रिपोर्ट के अन्तर्गत कथन किया कि प्रार्थी कालूसिंह व कुन्दनसिंह एक ही नाम के व्यक्ति है। अतः नाम दुरूस्त किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया प्रकरण एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में लिपिकिय त्रुटि को ही शुद्धि किये जानें का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने में कोई लिपिकिय त्रुटि की हो।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य के अभाव में पोषणीय नहीं होनें से स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं होनें के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिंनाक 10.07.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दो ओडकी में मजमे आम सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर